



ईपीएफओ, मुख्यकार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
भविष्यनिधि भवन, 14, भीकाजी कामाण्डेल, नई दिल्ली 110066
EPFO, HEAD OFFICE
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT
OF INDIA
14, BHIKAIJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066
www.epfindia.gov.in



वेब परिचालन

दिनांक : 20-01-2025

सं. - हि.अनु. / तिमाही प्रगति रिपोर्ट / संगठन 1193

सेवा में,

1. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) - अंचल,
2. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.) सहित सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
3. निदेशक (पीडीनास), सभी आं.प्र.सं. / उप - आं.प्र.सं.
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग), मुख्यालय,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 11011/12/2024-रा.भा.(अनु.) दिनांक 19 नवंबर, 2024 की प्रति आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु संलग्न है।

इसके साथ-साथ यह भी सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को कुल पुस्तकालय बजट का (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे सभी कार्यालय जिन्होंने इस मद में अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है से अनुरोध है कि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्तों, निदेशक, पीडीनास से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों में इस मद पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कराएं तथा एक समेकित रिपोर्ट 15 अप्रैल, 2025 तक मुख्यालय को dir.ol@epfindia.gov.in पर भिजवाएं।

भवदीया,

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

सं.11011/12/2024-रा.भा.(अनु.)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: १९ नवंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 05 मार्च, 1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका) की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रति संलग्न)। उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपूरक के रूप में पुस्तक खरीद हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं:-

- (I) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50 % हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में भी यह लक्ष्य स्पष्ट किया गया है।
- (II) निम्न प्रकार की पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं:-
- (i) हिंदी में काम करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें।
- (ii) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे

निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलियों/कार्यालय सहायिकाओं/संदर्भ ग्रंथों को खरीदें।

- (iii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।
- (iv) इसके अलावा, राजभाषा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में उल्लिखित हिंदी शास्त्रीय साहित्य की किताबें।
- (v) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित किताबें।
- (vi) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई किताबों की सूची से।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लां दें और इनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति:

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी।

अध्याय-11

सरकारी प्रकाशनों, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं एवं हिंदी पुस्तकों की खरीद

कानून सं 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका), दिनांक 5 मार्च, 1990

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 19-6-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/21/73-रा.भा. की ओर से ध्यान आकर्षित करने का मुझे निर्देश हुआ है, जिसके अंतर्गत अनुदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद संबंधी अनुदान की कम से कम 25% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए और बाजार में विभिन्न आदि में उपयुक्त पुस्तकों के उपलब्ध होने पर यह राशि 50% तक खर्च की जाए। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि पुस्तकालयों विषयों पर हिंदी में उपयुक्त पुस्तकों के उपलब्ध होने पर यह राशि 50% तक खर्च की जाए। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि पुस्तकालयों की चयन/क्रय समिति में हिंदी अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में रखा जाए।

2. सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक पुस्तकों की सूचियां जारी की गई हैं। इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं 20034/6/85-पत्रिका एकक के अनुसार पुस्तकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

3. राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई कार्यालयों आदि में ललित साहित्य की खरीद के नाम पर निम्न स्तर की पुस्तकें खरीदी गई हैं, जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं हैं। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु अपेक्षित है। विभाग द्वारा बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक ललित साहित्य की खरीद का प्रश्न अपेक्षित है। विभाग द्वारा बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक ललित साहित्य की खरीद का प्रश्न अपेक्षित है। विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को स्तरीय पुस्तकों की खरीद हेतु सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी हैं, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को स्तरीय पुस्तकों की खरीद हेतु सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी हैं, राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन से संबद्ध विभागों, तथा ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जाए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन से संबद्ध विभागों, तथा ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जाए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तकों की सूची यथाशीघ्र सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भिजवा दी जाएंगी।

4. राजभाषा विभाग के अनुसार दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें खरीदने का अनुदेश दिया गया है।

- (1) हिंदी में काम करने के लिए मंदर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर लिखी हिंदी में पुस्तकें आदि।
- (2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोक प्रिय समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, जिनमें कर्मचारियों को हिंदी में पढ़ने लिखने की सुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में यिन शिक्षक सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकें।
- (3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं, रसाले आदि जिन्हें पढ़ कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न जाएं।
- (4) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलीयों कार्यालयों संसाधिका/संदर्भ ग्रन्थ आदि को खरीदें।
- (5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकें और प्रकाशित पुस्तकें।

5. मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि पुस्तकों की खरीद उक्त (1), (4), तथा (5) के अनुसार करें। किन्तु (2) तथा (3) के अंतर्गत, अनुसार निम्नलिखित लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकें और प्रकाशित पुस्तकें।

माहित्य की खरीद के लिये पुस्तक चयन समिति द्वारा सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच, जबतक कि उपर्युक्त सूचियां तैयार हों, मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि साहित्य संबंधी पुस्तकों की खरीद निम्नलिखित लेखकों की कृतियों तक ही सीमित रखी जाएः-

(क) (क) कालिदास, भवभूति, तथा बाणभृत के हिंदी में अनुदित ग्रंथ।

(ख) रविन्द्र नाथ ठाकुर, सचिदानन्द गुडगाय, तारा शंकर वंधोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कामिल बुल्के, पन्ना लाल पटेल, तकीय शिवशंकर पिलै, मास्ति वेंकटेश अध्यांगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बिमल मित्र, शशि चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ सुनीति कुमार चट्टी, श्री राधा कुमुद मुखर्जी, एस० के० गोट्टेकाट, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, के० शिवराम कारन्त, आशा पूर्णा देवी, गोपीनाथ महान्ती, दृश्यं बेन्द्रे, विष्णु दे, कृष्ण चन्द्र, अमृत प्रीतम, विश्वनाथ मत्यनारायण, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, कु० शुभ पुट्ट्या, उगाशंकर जोशी, जी शंकर कुरुप, आर० के० नारायण, वी० वा० शिरबाडकर “कुसुमाग्रज”, गुलाब दास बोकर की हिंदी में अनुदित बृतियाँ।

(ग) कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा “नवीन”, मुंशी प्रेमचन्द्र, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य गमचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य हीरानन्द वाल्स्यायन “अज्ञेय”, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण बर्मा, मोहन राकेश, अमृत लाल, नागर, रामेय राघव, आचार्य चतुरसेन, आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी, सोहन लाल हिंदेवी, डॉ लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविन्द बल्लभ पंत, नागार्जुन, डॉ शंकर शेष, इलाचन्द्र जोशी, गजानन माधव मुकितबोध, फणीश्वर नरश्च, “रण०”, बृद्धावन लाल बर्मा, वियोगी हरि, मेरठ गोविन्द दास, यशपाल।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कर्मानियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत वैकंकों आदि के ध्यान में ला दें और उनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि, कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।